न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र

पीठासीन-राम सुलीन सिंह, एच 0 जे0 एस 0 UP01886

सेशंस केस सं0-618/2025

राज्य बनाम सूरज पाण्डेय

<u>आरोप</u>

मैं, राम सुलीन सिंह, सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र आप अभियुक्त सूरज पाण्डेय को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ।

प्रथम- यह कि दिनांक 20.04.2025 को समय लगभग 14.30 बजे बहद् स्थान ग्राम- विसुन्धरी, थाना घोरावल, जिला-सोनभद्र में आपको थाना घोरावल की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आपकी तलाशी ली गयी तो आपके पास से एक देशी पिस्टल 32 बोर व एक जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया तो आप नहीं दिखा सके। इस प्रकार आपका यह कार्य धारा- 3/25 आयुध अधिनियम के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक- 30.08.2025

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
सोनभद्र

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया व विचारण की याचना किया।

दिनांक- 30.08.2025

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
सोनभद्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र

पीठासीन-राम सुलीन सिंह, एच 0 जे0 एस 0 UP01886

सेशंस केस सं0-617/2025

राज्य बनाम सूरज पाण्डेय

30.08.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त सूरज पाण्डेय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का रेखांकन किया गया और उसमें प्रस्तावित साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके माध्यम से इन आरोपों को सिद्ध किया जाना प्रस्तावित है। दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त इस न्यायालय का समाधान हो गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप बनता है।

अतः अभियुक्त सूरज पाण्डेय के विरूद्ध धारा- 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप सृजित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण का निवेदन किया।

पत्रावली दिनांक 03.10.2025 को वास्ते अभियोजन साक्ष्य पेश हो। साक्षी जरिए समन तलब हो।

सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र
30.08.2025